भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3136
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

गोबरधन योजना

†3136. श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पात्र ग्राम पंचायतों को गोबरधन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता वर्ष-वार और जिला-वार कितनी है;
(ख) आंध्र प्रदेश में स्थापित बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या गोबरधन योजना के कार्यान्वयन के लिए मवेशियों की अधिक आबादी वाले गांवों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ऐसे गांवों को पर्याप्त वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)]- चरण-II के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना के अंतर्गत सामुदायिक/क्लस्टर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए प्रति जिला 50.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन आयोजना और योजना के लिए समग्र बजट की उपलब्धता के अनुसार सभी घटकों के लिए समेकित निधियां (केन्द्रीय हिस्सेदारी) जारी की जाती हैं। गोबरधन ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) का एक अभिन्न अंग है, जो पशु अपशिष्ट, रसोई के बचे हुए पदार्थ, फसल अवशेषों और बाजार के कचरे सहित

जैव-कचरे को बायोगैस और बायो स्लरी में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) जो गोबरधन योजना के लिए नोडल मंत्रालय है द्वारा सूचित किए गए अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं के विकास के लिए विभिन्न पहल की हैं। इनमें किफायती परिवहन की दिशा में टिकाऊ विकल्प (एसएटीएटी) के तहत तेल और गैस विपणन कंपनियों के माध्यम से सीबीजी के ऑफ-टेक के लिए सुनिश्चित मूल्य, शहरी गैस संवितरण (सीजीडी) नेटवर्क में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के साथ सीबीजी की एकरूपता के लिए दिशानिर्देश, सीबीजी ऑफ-टेक की सुविधा के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के विकास के लिए एक योजना, बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए सीबीजी उत्पादकों को सहायता देने के लिए एक योजना और सीएनजी (टी) और सीजीडी नेटवर्क के पीएनजी (डी) खंड में सीबीजी की चरण-वार अनिवार्य बिक्री शामिल है।

(ख): आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा गोबरधन पोर्टल पर सूचित डेटा के अनुसार, एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थापित समुदाय/क्लस्टर आधारित गोबरधन संयंत्रों की जिला-वार संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। आंध्र प्रदेश ने एसबीएम (जी) चरण-I के अंतर्गत किसी समुदाय/क्लस्टर आधारित बायोगैस संयंत्र की सूचना नहीं दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गोबरधन पोर्टल के अनुसार, आंध्र प्रदेश में संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की जिला-वार संख्या **अनुबंध-2** में दी गई है।

(ग) और (घ): गोबरधन योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने समुदाय/क्लस्टर आधारित परियोजनाओं के लिए गांवों की पहचान की जाती है अथवा उन्हें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। एसबीएम (जी) चरण-II के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी जाती है कि वे परियोजनाओं को टिकाऊ बनाने के लिए जैविक अपशिष्टों की निर्बाध आपूर्ति के लिए गौशालाओं के निकट सामुदायिक स्तर की परियोजनाएं शुरू करें।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सीबीजी परियोजनाओं के लिए कोई ग्राम पंचायत विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। सीबीजी संयंत्र उद्यमियों और अन्य इच्छुक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के उनके तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर स्थापित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीबीजी के तकनीकी, वित्तीय और संचालन संबंधी पहलुओं के बारे में उद्यमियों और किसानों में जागरूकता का प्रसार करने और सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना के लिए योजना का लाभ उठाने के संबंध में देश भर में कार्यशालाओं, सेमिनारों और बैठकों आदि का आयोजन कर रहा है।

अनुबंध-1

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के उत्तर में संदर्भित विवरण

एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थापित गोबरधन संयंत्रों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	अभी निर्माण शुरू किया जाना है	निर्माणाधीन	पूरा किया	कार्यशील	कुल
1.	अल्लूरी सीताराम राजू	0	0	0	0	0
2.	बापटला	1	0	0	0	1
3.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा	1	0	0	0	1
4.	नंदयाल	0	0	0	0	0
5.	पार्वतीपुरम मान्यम	0	0	0	0	0
6.	श्री सत्य साईं	0	0	0	0	0
7.	तिरुपति	0	0	0	0	0
8.	अनकापल्ली	0	0	0	0	0
9.	अन्नामय्या	1	0	0	0	1
10.	चित्तूर	1	0	0	0	1
11.	पूर्वी गोदावरी	0	1	0	0	1
12.	एलुरु	0	1	0	0	1
13.	गुंटूर	0	0	0	0	0
14.	काकीनाडा	0	0	0	0	0
15.	कुरनूल	0	1	0	0	1
16.	नेल्लोर	0	0	0	0	0
17.	एनटीआर	0	0	0	0	0
18.	पलनाडु	0	0	0	0	0
19.	प्रकाशम	2	0	0	0	2
20.	श्रीकाकुलम	0	0	0	0	0
21.	विजयनगरम	0	0	0	0	0
22.	अनंतपुरमु	0	1	0	0	1
23.	वाई.एस.आर.	0	0	0	0	0
24.	कृष्णा	0	0	0	0	0
25.	विशाखापत्तनम	0	0	0	0	0
26.	पश्चिमी गोदावरी	1	0	0	0	1
	कुल	**7**	**4**	**0**	**0**	**11**

(राज्य सरकार द्वारा 16/12/2025 तक सूचित किए गए अनुसार)

अनुबंध-2

दिनांक 18.12.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3136 के उत्तर में संदर्भित विवरण

आंध्र प्रदेश में स्थापित संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	अभी निर्माण शुरू किया जाना है	निर्माणाधीन	पूरा किया	कार्यशील	कुल
1.	अल्लूरी सीताराम राजू	0	0	0	0	0
2.	अनकापल्ली	3	1	0	0	4
3.	अनंतपुरमु	0	1	0	0	1
4.	अन्नामय्या	2	0	0	0	2
5.	बापटला	0	0	0	0	0
6.	चित्तूर	2	0	0	0	2
7.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा	0	0	0	0	0
8.	पूर्वी गोदावरी	6	2	0	1	9
9.	एलुरु	4	0	0	0	4
10.	गुंटूर	2	0	0	0	2
11.	काकीनाडा	1	4	0	1	6
12.	कृष्णा	1	0	0	0	1
13.	कुरनूल	1	1	0	1	3
14.	नंदयाल	2	0	0	0	2
15.	नेल्लोर	4	2	0	0	6
16.	एनटीआर	4	2	0	0	6
17.	पलनाडु	3	0	0	1	4
18.	पार्वतीपुरम मान्यम	0	0	0	0	0
19.	प्रकाशम	8	0	0	0	8
20.	श्री सत्य साईं	0	0	0	0	0
21.	श्रीकाकुलम	6	0	0	0	6
22.	तिरुपति	1	0	0	1	2
23.	विशाखापत्तनम	1	0	0	1	2
24.	विजयनगरम	3	0	0	0	3
25.	पश्चिमी गोदावरी	0	0	0	0	0
26.	वाई.एस.आर.	2	0	0	0	2
	कुल	56	13	0	6	75

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार) (16/12/2025 तक)

*****